प्रेस विज्ञप्ति
21.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि कार्यालय ने केरल में फैले बड़े पैमाने के अवैध अंग तस्करी रैकेट से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18.06.2026 को केरल स्थित 09 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह जांच केरल पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर प्रारंभ की गई थी, जिसमें एक सुव्यवस्थित आपराधिक गिरोह का खुलासा हुआ। यह गिरोह वैध परोपकारी अंगदान (Altruistic Organ Donation) एवं चिकित्सा पर्यटन (Medical Tourism) की आड़ में आधिकारिक दस्तावेजों की जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र तथा अवैध अंग तस्करी जैसी गतिविधियों में संलिप्त था।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मोहम्मद नजीब के. तथा उसकी सहयोगी रशीदा ए.ए. ने अपनी मुखौटा कंपनी कल्लाथारस मेडिकल टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वर्ष 2021 से 2026 के बीच इस अवैध रैकेट का संचालन किया। एजेंटों एवं बिचौलियों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर एवं संकटग्रस्त अंगदाताओं को निशाना बनाया तथा उन्हें 5 से 15 लाख रुपये का भुगतान करने का प्रलोभन दिया, जबकि अंग प्राप्तकर्ताओं से 20 से 35 लाख रुपये अथवा उससे अधिक राशि वसूली गई। आरोपियों द्वारा पुलिस से संबंधित फर्जी परोपकारिता (अल्ट्रुइज्म) प्रमाणपत्र, जनप्रतिनिधियों के फर्जी अनुशंसा-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा अन्य प्रमाणपत्रों सहित अनेक दस्तावेज जालसाजी के माध्यम से तैयार किए गए। ये जाली दस्तावेज एर्नाकुलम के पल्लिक्करा स्थित सन कम्युनिकेशन्स डीटीपी सेंटर तथा साइन एचडी डिजिटल स्टूडियो में तैयार किए गए। इसके पश्चात एर्नाकुलम के प्रमुख अस्पतालों में अवैध अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया।

अतः अपराध से अर्जित आय का पता लगाने, वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने तथा अवैध अंग व्यापार से संबंधित आपत्तिजनक अभिलेखों, डिजिटल साक्ष्यों एवं वित्तीय लेन-देन के विवरणों को बरामद करने के उद्देश्य से लक्षित तलाशी अभियान चलाए गए। तलाशी के दौरान अनेक आपत्तिजनक अभिलेख जब्त किए गए, जिनमें जाली दस्तावेज, अस्पतालों में संपन्न अंग प्रत्यारोपण शल्यक्रियाओं से संबंधित विस्तृत विवरण, जैसे दाताओं एवं प्राप्तकर्ताओं की जानकारी, तथा जिला स्तरीय प्राधिकरण समिति से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत दस्तावेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आरोपियों एवं उनके सहयोगियों के नाम पर धारित अचल संपत्तियों का विवरण भी एकत्र किया गया है, ताकि अपराध से अर्जित आय से अधिग्रहित परिसंपत्तियों का पता लगाया जा सके। अवैध अंग व्यापार को सुगम बनाने वाले एजेंटों एवं बिचौलियों के बैंक खातों के संबंध में फ्रीजिंग आदेश भी जारी किए गए हैं। साथ ही, आरोपियों एवं उनसे संबद्ध संस्थाओं के बैंक खातों का विवरण प्राप्त कर लिया गया है तथा अपराध से अर्जित आय के प्रवाह एवं उसकी लेयरिंग का पता लगाने के लिए उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

मामले में आगे की जांच जारी है।